तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को आवाज दिलाई गई किन्तु वकील वादी हाजिर अदालत नहीं आये। वादी स्वयं भी हाजिर नहीं है। अतः वकील वादी की अनुपस्थिति में वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति जमा लेखा मण्डार हो। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)